भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2511
(03 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा में लिंग के आधार पर भेदभाव

2511. श्री अदला प्रभाकर रेड्डीः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को विभिन्न राज्यों में मनरेगा के कार्यान्वयन के संबंध में विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों की मजदूरी के संबंध में कोई शिकायत मिली है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या महिलाओं को रोजगार देने में बहुत भेदभाव है; और
(घ) यदि हां, तो योजना के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच काम और मजदूरी का समान वितरण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): मंत्रालय में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत अनियमितता/भ्रष्टाचार, निधियों के अन्यत्र हस्तांतरण सहित गबन, मजदूरी का भुगतान न किए जाने, पारदर्शिता की कमी आदि से जुड़ी शिकायतें प्राप्त होती हैं किंतु ये पुरूषों तथा महिलाओं की मजदूरी से संबंधित नहीं होती है।

(ग) और (घ): जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करता रहा है। मजदूरी करने की इच्छुक महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए दरों की पृथक अनुसूची अधिदेशित की गई है जिसमें लचीले कार्य-समय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत 54.57 था।

****